भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1742
उत्तर देने की तारीख- 10/02/2026

दिव्यांगजनों के लिए केंद्रीय योजनाएं

1742. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में नि:शक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतगर्तत कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने द्वीपों में नि:शक्त व्यक्तियों की पहचान, निशक्तता प्रमाणन, पहुंच और उन्हें लाभ पहुंचाने की अनिवार्यता का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लक्षद्वीप के भौगोलिक रूप से अलग-थलग होने के कारण प्रभावी कार्यान्वयन में किन्हीं कमियों अथवा चुनौतियों की पहचान की गई है, यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान लक्षद्वीप में नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग में लाई गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ङ): यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, उत्थान और कल्याण के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू किया है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी है, जो दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 करता है और समानता, शिक्षा, रोजगार एवं सुगम्यता जैसे अधिकार सुनिश्चित करता है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपनी प्रमुख पहलों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों के कल्याण, कौशल विकास और पुनर्वास में सहायता करता है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) की योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं,

और सिपडा- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना, जिसमें कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) तथा बाधामुक्त वातावरण का निर्माण आदि शामिल हैं। ये सभी योजनाएं मांग आधारित हैं।

भारत में प्रमाणीकरण के माध्यम से दिव्यांगता की पहचान और उसके बाद दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों को लाभ पहुँचाने का प्रबंधन मुख्य रूप से यूडीआईडी पोर्टल (https://swavlambancard.gov.in/) के माध्यम से किया जाता है। यूडीआईडी पोर्टल स्थापित किया गया है जहाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिकृत अस्पतालों को पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने के लिए जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक ही दस्तावेज़ बनाना है, ताकि विभिन्न लाभों के लिए अलग-अलग और बार-बार दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। यूडीआईडी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में लक्षद्वीप में जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**यूडीआईडी कार्डों की संख्या**
1.	2022-23	17
2.	2023-24	70
3.	2024-25	186
4.	2025-26 (06.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार)	254

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, एडिप योजना के तहत लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है**:-**

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**लाभार्थियों की संख्या**	**उपयोग की गई निधि (लाख रुपये में)**
1.	2022-23	-	-
2.	2023-24	15	1.66
3.	2024-25	257	18.83
4.	2025-26 (06.02.2026 की स्थिति के अनुसार)	17	1.33
	कुल	289	21.82

*****